न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य (आर.ए.एस)

अपील संख्या – 47 /2019

1. राधादेवी पत्नि स्व. बृजमोहन
2. सुरेश पुत्र स्व. बृजमोहन
3. धर्मेन्द पुत्रान स्व. बृजमोहन
4. माया पुत्री स्व. बृजमोहन
5. सुनिता पुत्री स्व. बृजमोहन
6. रेखा पुत्री स्व. बृजमोहन

जातियान ब्रहाम्ण निवासी प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब पावटा जिला जयपुर राजस्थान
2. विनोद पुत्र स्व. श्री शान्तिस्वरूप
3. रविकुमार पुत्र स्व. श्री शान्तिस्वरूप
4. सुशीला पुत्री स्व. श्री शान्तिस्वरूप
5. सरोज पुत्री स्व. श्री शान्तिस्वरूप
6. संतोष पुत्री स्व. श्री शान्तिस्वरूप
7. सीता पुत्री स्व. श्री शान्तिस्वरूप
8. बबली पुत्र स्व. राजेश
9. भारत पुत्र स्व. राजेश
10. परी पुत्री स्व. राजेश
11. बिमला पुत्री स्व. बंशीधर
12. चमेली पुत्री स्व. बंशीधर
13. रतनलाल पुत्र स्व. प्रहलाद
14. नैतराम पुत्र स्व. प्रहलाद
15. रामचन्द्र पुत्र स्व. प्रहलाद
16. सतपाल पुत्र स्व. प्रहलाद
17. तुलसीराम पुत्र स्व. रामचन्द्र

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

18. लखन पुत्र स्व. रामचन्द्र

19. जानकी पुत्री बादामी

20. सरस्वती पुत्री बादामी

21. चमेली पुत्री बादामी

22. सत्यनारायण पुत्र कौशल्या

23. रामोजया पुत्री कौशल्या

24. बिल्लू पुत्र दया

25. रमेश पुत्र स्व. कैकई

26. सुरेश पुत्र स्व. कैकई

27. नरेश पुत्र स्व. कैकई

28. लक्ष्मण पुत्र स्व. कैकई

29. गांधी पुत्र स्व. कैकई

30. नन्नूमल पुत्र स्व. रामेश्वर

31. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. रामेश्वर

32. गीता पुत्री स्व. रामेश्वर

33. रामप्यारी पत्नि स्व. लीलाधर

34. आशा पुत्री स्व. लीलाधर

35. ललीता पुत्री स्व. लीलाधर

36. मुरारीलाल पुत्र स्व. बदरीप्रसाद

37. गिरधारी पुत्र स्व. बदरीप्रसाद

38. बजरंगलाल पुत्र स्व. बदरीप्रसाद

39. सन्तरा पुत्री स्व. बदरीप्रसाद

40. राजू पुत्र मनीषा

41. शारदा पुत्री स्व. मनीषा

42. तृष्णा पुत्री स्व. मनीषा

43. योगीता पुत्री स्व. मनीषा

समस्त जातियान ब्रहाम्ण निवासी प्रागपुरा तहसील कोटपूतली हाल तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2729 दिनांक 1.06.2018 द्वारा तहसीलदार पावटा जिला जयपुर राजस्थान

निर्णय दिनांक : 23-2-2022

वकील अपीलान्ट ने एक अपील विरूद्ध नामान्तकरण इस आशय की पेश की कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1828/0.45 वाके मौजा ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली हाल तहसील पावटा के खातेदार काश्तकार पूर्व में अपीलांट के दादा फूलचन्द थे। उनकी मृत्यु दिनांक 13.08.1987 को होने के बाद अपीलांटगण की दादी महादेवी पत्नि स्व. फूलचन्द उक्त आराजी पर काबिज काश्त हुई तथा महादेवी की मृत्यु के बाद अपीलांटगण के पिता स्व. बृजमोहन पुत्र फूलचन्द काबिज काश्त हुए तथा अपीलांट के पिता बृजमोहन की मृत्यु दिनांक 03.05.2019 को होने के बाद अपीलांट के पिता स्व. बृजमोहन की मृत्यु दिनांक 03.05.2019 के बाद अपीलांटगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है और आज भी मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांटगण के पिता बृजमोहन को स्व. फूलचन्द दादा व दादी महादेवी ने बचपन में ही सामाजिक रस्म अदा करके समाज के लोगों के सामने गोद ले लिया था तथा बचपन से ही अपीलांटगण स्व. दादा फूलचन्द के पुत्र बृजमोहन के साथ रहने लग गया था। फूलचन्द व महादेवी की मृत्यु होने पर उनके दाह संस्कार क्रियाकर्म सभी कार्य अपीलांटगण के पिता ने ही किये। अपीलांटगण के पिता को गोद लेने बाबत एक लिखावट गोदनामा भी वास्ते सनद लिख दी थी। फूलचन्द व महादेवी ने अपीलांटगण के पिता बृजमोहन को बचपन में ही गोद ले लिया था उनकी मृत्यु के बाद अपीलांटगण के पिता बृजमोहन व उसके बाद अपीलांटगण आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पोडैन्ट संख्या 2 लगायत 43 का आराजी विवादित से कोई लेना–देना ताल्लूक वास्ता नहीं रहा है ना ही आज है। रेस्पोडैन्ट संख्या 02 लगायत 43 चालाक व बाजौर किस्म के व्यक्ति है। जिन्होंने राजस्व कर्मचारियों से साज–बाज होकर आराजी के राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से गैर कानूनी रूप से अपीलांटगण के दादा फूलचन्द को लाऔलाद फौत बताकर अपना नाम दर्ज करवा लिया जो शुरू से ही अपीलांटगण के अधिकारों के विरूद्ध शून्य एवं बेअसर है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण जेर अपील निरस्तनीय है। अपीलांटगण के पिता स्व. बृजमोहन ने इस नामान्तकरण संख्या 2729 दिनांकित 01.06.2018 के विरूद्ध मान्य न्यायालय में अपील पेश कर रखी तथा दिनांक 12.06.2019 को अपीलांटगण ने नई अपील पेश करने की अनुमति के साथ अपील को खारिज करवा लिया था। इसलिए अपीलांटगण बिना देरी के यह अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2729 दिनांकित 1.06.2018 द्वारा तहसीलदार पावटा बाबत आराजी खसरा नम्बर 1828/0.45 वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली को निरस्त किया जावे। अपीलांटगण को आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडैन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडैन्ट संख्या 2, 36, 37, 38 की ओर से श्री सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये। रेस्पोडैन्ट संख्या 8, 9, 10 की तामील जरिये रजिस्टर्ड करवाये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई गई। शेष रेस्पोडैन्टगण की तामील जरिये अखबार करवाई गई। उसके उपरांत भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर शेष रेस्पोडैन्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई गई।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडैन्टगण ने नामांतकरण संख्या 2729 दिनांक

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

1.06.2018 अपने पक्ष में गलत दर्ज करवा लिया जबकि आराजी हाल खसरा नम्बर 1828/0.45 वाके मौजा प्रागपुरा तहसील कोटपूतली के पूर्व खातेदार अपीलांट के दादा फूलचन्द थे। जिन्होंने अपीलांट के पिता बृजमोहन को स्व. फूलचन्द व उनकी पत्नि महादेवी ने बचपन में ही सामाजिक रस्म अदा करके लोगों के सामने गोद ले लिया था तथा उनके समस्त कियाकर्म अपीलांट के पिता बृजमोहन ने किये थे। अपीलांटगण के पिता को गोद लेने बाबत गोदनामा भी लिख दिया था तथा स्व. फूलचन्द की मृत्यु के उपरांत फूलचन्द की उक्त भूमि पर अपीलांटगण के पिता बृजमोहन काबिज काश्त थे तथा बृजमोहन की मृत्यु के उपरांत अपीलांटगण उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रैस्पोडैन्ट संख्या 2 लगायत 43 का उक्त आराजी से कोई ताल्लूक वास्ता नहीं है। उन्होने राजस्व कर्मचारियों से साज–बाज करके गलत तरीके से फूलचन्द को लाऔलाद फौत बताकर अपना नाम दर्ज करवा लिया इसलिए उक्त नामांतकरण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रकराणाधीन नामांतकरण निरस्त कर अपीलांटगण को आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वकील रेस्पोडैन्ट संख्या 2, 36, 37, 38 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा एक स्टाम्प पेश किया गया है। जिस पर कोई दिनांक अंकित नही है। ना ही वह रजिस्टर्ड दस्तावेज है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजात की सत्यता पर विश्वास नही किया जा सकता है। जिसके आधार पर अपीलान्ट ने नामान्तकरण की अपील की है। अपीलान्ट ने एक कुटरचित दस्तावेजात पेश किया है। रेस्पोडेन्टगण की जानकारी में ऐसा कोई गोदनामा नही लिखा गया है। इस प्रकार उक्त अपंजीकृत व कुटरचित गोदनामे के आधार पर अपील स्वीकार नही की जा सकती है। अतः अपील खारिज फरमावे।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनी। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपीलाधीन नामान्तकरण में विचाराधीन आराजी के खातेदार काश्तकार फूलचन्द के अपने पिता बृजमोहन को गोद लेना बताया गया है। तथा उसी आधार पर अपील स्वीकार कर नामान्तकरण खारिज करने का कथन किया है। दूसरी ओर रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किया है जिसे वह गोदनामा बता रहा है। उस पर ना तो कोई दिनांक अंकित है ना ही वह पंजीकृत है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजात पर विश्वास किया जाना न्यायसंगत नही है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.2.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)